1. प्रस्तावना एवं परिभाषा

- अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त (Public finance) कहलाता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार की आय तथा व्यय का आकलन करती है। अर्थात् यह सार्वजनिक प्राधिकरणों की आय एवं व्यय तथा इनके मध्य आपसी समन्वय से संबंधित कार्यकरण से संबंधित शाखा है।
- राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार आर्थिक नीतियों के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए **कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण** जैसे साधनों का प्रयोग करती है। जहाँ राजकोषीय नीति, सरकार के कराधान एवं व्यय संबंधी निर्णयों से संबंधित होती है, वहीं **मौद्रिक नीति**, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर से संबंधित होती है। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में, सरकार द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है।

2. राजकोषीय नीति के उपकरण

- राजकोषीय नीति को सरकार के विधायी और/या कार्यकारी विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राजकोषीय नीति के दो मुख्य उपकरण **सरकारी कराधान तथा व्यय** हैं। सरकार सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय के वित्तपोषण हेतु कर संग्रहण करती है। सरकारी व्यय, कराधान एवं ऋण समग्र अर्थव्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित करते हैं।

राजकोषीय नीति के उद्देश्य

1. आर्थिक स्थिरता बनाए रखना
2. पूर्ण रोजगार की प्राप्ति
3. आर्थिक संवृद्धि को त्वरित करना
4. आय और संपत्ति में असमानता के स्तर को कम करना
5. मूल्य स्तर में स्थिरता बनाए रखना
6. वाह्य संतुलन को प्राप्त करना

2.1. सरकारी या सार्वजनिक व्यय

- सार्वजनिक व्यय से आशय सार्वजनिक प्राधिकरणों - केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अपने अनुरक्षण तथा नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए गए व्यय से है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने पर किए गए व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए किए गए व्यय।

सरकारी व्यय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

2.1.1. पूंजीगत एवं राजस्व व्यय (Capital and Revenue Expenditure)

- सरकार द्वारा किया गया वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है अथवा उस व्यय से सरकार की वित्तीय देयताओं में कमी आती है, **पूंजीगत व्यय** कहलाता है। पूंजीगत व्यय में सम्मिलित हैं:
  - भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरणों का अधिग्रहण, शेयरों में निवेश पर व्यय
  - केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों, PSU और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण तथा अग्रिम
- **राजस्व व्यय,** केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन से भिन्न, अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय है। यह निम्नलिखित से संबंधित होता है:
  - सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यों के लिए किए गए व्यय
  - सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान
  - राज्य सरकारों एवं अन्य पक्षों को दिए गए अनुदान

2.1.2. विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय (Development and Non-Development Expenditure)

- **विकासात्मक व्यय-** आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाले सभी व्ययों को विकासात्मक व्यय कहा जाता है। विकासात्मक व्यय, उत्पादक व्यय के समान होते हैं, इनसे भौतिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है। उदाहरण- शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन, संचार आदि क्षेत्रों में विकास।
- **गैर-विकासात्मक व्यय-** ऐसे व्ययों, जिनसे किसी प्रकार की भौतिक परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है, ऐसे अनुत्पादक व्ययों को गैर-विकासात्मक व्यय कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप- प्रशासनिक सेवाएं जैसे कि पुलिस, न्याय प्रशासन, रक्षा या ब्याज भुगतान, राज्यों को अनुदान आदि।

2.1.3. प्रत्यक्ष व्यय एवं अंतरण व्यय (Direct Expenditure and Transfer Expenditure)

- **प्रत्यक्ष व्यय -** आय या संपत्तियों का सृजन करने वाले व्यय प्रत्यक्ष या गैर-अंतरण व्यय से संबंधित होते हैं। मूल रूप से यह वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर तथा उत्पादन के कारकों की वर्तमान सेवाओं पर सरकार द्वारा किया गया व्यय है।

योजनागत एवं गैर-योजना व्यय

- वर्तमान में योजना और गैर-योजना व्यय के विभेदन को समाप्त कर दिया गया है। पहले योजना व्यय निर्धारित करने में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी।
- **योजनागत व्यय -** केंद्र सरकार के वर्तमान (पंचवर्षीय) योजना प्रस्तावों के तहत निर्धारित कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन अथवा राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धन से सम्बंधित व्यय को योजनागत व्यय कहा जाता है।
- **गैर योजना व्यय -** यह सरकार के एक वर्ष के नियमित कामकाज के लिए बजट में आवंटित अनुमानित व्यय को दर्शाता है। सरकार के योजनागत व्यय के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के व्यय, गैर-योजनगत व्यय होते हैं।
- **व्यय** की योजनागत/गैर-योजनागत विभाजन ने विभिन्न योजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटन के एक खंडित दृष्टिकोण को प्रेरित किया जिससे न केवल एक सेवा की डिलीवरी की लागत का पता लगाना मुश्किल हो गया अपितु इसके आउटकम (परिणामों) को इसके परिव्यय से संबद्ध करना भी एक कठिन कार्य बन गया।
- केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से भी योजनागत व्यय के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये ने परिसंपत्ति के रखरखाव और अन्य संस्थानों पर होने वाले व आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित व्ययों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित किया है। यह प्रणाली पिछले प्रतिबद्धताओं और आवश्यकताओं तथा प्लान बजट के लिए अवशिष्ट संसाधनों के आवंटन पर आधारित है। इससे प्लान बजट के भीतर फंड आवंटन में होने वाले लचीलेपन में कमी आई है।

- गैर-अंतरण व्यय में विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय सम्मिलित होते हैं। विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्ययों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन का सृजन होता है। आर्थिक अवसंरचना जैसे कि बिजली, परिवहन, सिंचाई आदि तथा सामाजिक अवसंरचना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आंतरिक कानून एवं व्यवस्था, रक्षा और लोक प्रशासन आदि।
- ऐसे व्यय के माध्यम से सरकार आर्थिक गतिविधियों के लिए उचित परिस्थितियों अथवा परिवेश का निर्माण करती है। आर्थिक वृद्धि के कारण, सरकार शुल्कों एवं करों के रूप में आय का भी सृजन कर सकती है।
- **अंतरण व्यय -** अंतरण व्यय से आशय भुगतान के रूप में किए गए व्यय से है। इन व्ययों से किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार के व्ययों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ता, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण लाभ आदि जैसे व्यय सम्मिलित होते हैं।
- यद्यपि ऐसे व्ययों से सरकार को किसी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, परन्तु यह जन सामान्य के लिए विशेषकर समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग से संबंध लोगों के लिए कल्याणकारी होते हैं। इन व्ययों के परिणामस्वरूप समाज में आय का पुनर्वितरण होता है।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं:

- केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्तियां।
- सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश अथवा लाभ।
- सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क एवं अन्य प्राप्तियां।
- विदेशी राष्ट्रों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा नकद अनुदान।